

समाहरणालय, पटना ।  
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स न०-0612-221890  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

28-11-2013


आवेदक श्री गुंजा लाल राम, पिता-स्व० श्री सरजू राम, सा०-बी०/०२, विनीता विला, सिद्धार्थ नगर, जगदेव पथ, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना से प्राप्त एक एस०बी०बी०एल०/डी०बी०बी०एल० गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-०९-४४७/२०१२ कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि-२८.११.२०१३ निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-२८.११.२०१३ को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे Water Resources Dept., Govt. Of Bihar में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-४६५/गो०, दिनांक-२३.०३.२०१३ द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना के ज्ञापांक-२३/१३, दिनांक-१५.०३.२०१३ द्वारा पुलिस निरीक्षक, दानापुर अंचल के अग्रसारण के आलोक में आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, रूपसपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक Water Resources Dept., Govt. Of Bihar में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा १३, शस्त्र नियम १९६२ में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री गुंजा लाल राम,


  
246

पिता-स्व० श्री सरजू राम, सा०-बी०/०२, विनीता विला, सिद्धार्थ नगर, जगदेव पथ, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एस०बी०बी०एल०/डी०बी०बी०एल० गन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री राम को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त क लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।